जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना चांदपुर **दिनॉक 19.06.2025**

थाना चांदपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 346/25 धारा 333/115(2)/352/351(3)/103(1) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 16.06.2025 को वादी श्री इकबाल पुत्र इन्तेजार निवासी ग्राम बहमनशोरा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण संजाद व इस्लाम पुत्रगण मुतियार, रिहाना पत्नी इस्लाम एवं 03 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के घर मे घुसकर गाली–गलौच करते हुए लाठी–डन्डो से वादी, वादी के पिता इन्तेजार व अन्य परिजनो के साथ मारपीट की गई तथा अभियुक्त सन्जाद ने वादी के पिता इन्तेजार के सिर पर डन्डे से वार कर उन्हे गंभीर रूप से घायल कर दिया। जिन्हे उपचार हेतु सीएचसी स्याऊ ले जाया गया जहां पर चिकित्सक ने इन्तेजार उपरोक्त को जिला अस्पताल बिजनौर के लिए रेफर कर दिया। तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 346/25 धारा 191(2)/190/333/115(2)/352/351(3)/109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

दिनांक 18.06.2025 को वादी के पिता इन्तेजार उपरोक्त की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 190/191(2)/109(1) बीएनएस का लोप कर धारा 103(1) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही–

आज दिनांक 19.06.2025 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त इस्लाम पुत्र मुतियार निवासी ग्राम बहमनशोरा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. इस्लाम पुत्र मुतियार निवासी ग्राम बहमनशोरा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.थानाध्यक्ष श्री संजय कुमार तोमर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

2.उ0नि0 श्री भूषण कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

3.का0 2290 सागर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

4.का0 88 रजनीश थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना नहटौर **दिनॉक 19.06.2025**

थाना नहटौर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 03/24 धारा 366/376 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 02.01.2024 को वादी ने थाना नहटौर पर तहरीर दी कि अभियुक्त लोकेश पाल पुत्र सतपाल उर्फ सत्तूपाल निवासी खेडी खुशनाम थाना झिंझाना जनपद शामली हाल पता मौ0 परमानन्द विहार रोशनाबाद थाना सिडकुल जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाया गया। तहरीर के आधार पर थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 03/24 धारा 366 भादवि पंजीकृत किया गया। दिनांक 08.01.2024 को थाना नहटौर पुलिस द्वारा अपहृता को बरामद किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 376 भादवि की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही–

आज दिनांक 19.06.2025 को थाना नहटौर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 03/24 धारा 366/376 भादवि में वांछित अभियुक्त लोकेश पाल पुत्र सतपाल उर्फ सत्तूपाल निवासी खेडी खुशनाम थाना झिंझाना जनपद शामली को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. लोकेश पाल पुत्र सतपाल उर्फ सत्तूपाल निवासी खेडी खुशनाम थाना झिंझाना जनपद शामली हाल पता मौ0 परमानन्द विहार रोशनाबाद थाना सिडकुल जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.उ0नि0 श्री जितेन्द्र तोमर थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

2.आरक्षी 2440 सुधीर कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नूरपुर **दिनांक 19.06.2025**

थाना नूरपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर अवैध शस्त्र के साथ स्टोरी लगाने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार

कार्यवाही विवरणः-

दिनांक 18.06.2025 को सोशल मीडिया प्लेटफार्म (एक्स) पर थाना नूरपुर क्षेत्र के एक युवक की अवैध शस्त्र (तमन्चा) के साथ इंस्टाग्राम की रील वायरल हुई । उक्त वीडियो (रील) का तत्काल संज्ञान लेकर जांच की गई तो उक्त युवक की पहचान प्रीत कुमार पुत्र पवन कुमार निवासी ग्राम अलीनगर पालनी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर के रूप मे हुई। मुखबिर की सूचना पर थाना नूरपुर पुलिस ने अभियुक्त प्रीत कुमार उपरोक्त को एक अवैध तमन्चा 12 बोर व एक जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार किया। इस संबंध मे थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 213/25 धारा 9/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

प्रीत कुमार पुत्र पवन कुमार निवासी ग्राम अलीनगर पालनी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण-

एक अवैध तमन्चा 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 रवि कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
2.आरक्षी अर्जुन सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।